INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
( Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal )
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

# आपदा प्रबंधनः आयाम और रणनीति
# (Disaster Management: Dimensions and Strategy)

**राज मलवाण**

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग,

श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर (राजस्थान, भारत)

**DOI No.** 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/08.2022-81191272/IRJHIS2208014

***शोध सारांशः***

*आपदा एक भयावह घटना है जो सामान्य जीवन को अस्त–व्यस्त कर देती है। आपदाएं मनुष्य के लिए नई नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान किसी ना किसी प्रकार की आपदा के साये में रह रहा है, जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भू–स्खलन आदि। आपदाओं का समाज और वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उनका प्रभाव लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। आपदाओं के कारण वैश्विक वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ आपदा को परिभाषित करते हुए कहता है कि ''कोई भी घटना जिससे ध्वंस का कारण, पारिस्थितिकी बरबादी, मानव जीवन के तौर पर क्षति, स्वास्थ्य और सेवाओं में गिरावट इस स्तर पर होती है कि जिसके लिए प्रभावित समुदाय को बाहर से किसी अभूतपूर्व प्रतिक्रिया की दरकार होती है, आपदा कहलाती है।'' अपनी विशिष्ट भू–जलवायु परिस्थितियों के चलते भारत परंपरागत तौर पर राष्ट्रीय आपदाओं के लिहाज से सबसे नाजुक क्षेत्र रहा है। राष्ट्रीय आपदा पर हाल की ही एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 60 फीसदी पृथ्वी पर रहने वाला जीवन विभिन्न तरह की तीव्रताओं वाले भूकंप की जद में है, जबकि 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ की आशंका से। साथ ही 8 फीसदी क्षेत्र चक्रवात की आशंका की जद में, जबकि 68 फीसदी क्षेत्र में हमेशा सूखे की आशंका बनी रहती है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को अपने विकास रणनीतियों के अनिवार्य घटक के रूप में अपनाया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी आपदा प्रबंधन पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। इसमें कहा गया है कि बिना आपदा प्रबंधन के सतत् विकास की प्रक्रिया को बनाये नहीं रखा जा सकता। अपने इस शोध पत्र में हम भारत में आपदा प्रबंधन पर एक विश्लेषणात्मक अवलोकन करने का प्रयास करेंगे।*

***मुख्य शब्दः*** *आपदा प्रबंधन, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भू–स्खलन, पारिस्थितिकी बरबादी, भू–जलवायु, प्राकृतिक आपदा, सतत् विकास आदि।*

## प्रस्तावना :

### भारत के वित्त आयोग एवं केन्द्र सरकार का आपदा प्रबंधन के लिए प्रयास :

हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में भारत के वित्त आयोग ने पर्याप्त राहत और पुर्नवास के समुचित परिव्यय के रूप में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन के हस्तांतरण के संबंध में सिफारिश की है। भारत सरकार का भी सख्त निर्देश है कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आपदा प्रबंधन का भी ध्यान रखेगी। यह भी कहा गया है कि प्रोजेक्ट के दस्तावेज में यह बात परिलक्षित होनी चाहिए कि आपदा प्रबंधन या रोकथाम के लिए कौन–से उचित कदम या उपाय अपनाए जाएंगे।

वस्तुतः कहे तो व्यवस्थित आपदा प्रबंधन पर हमारे पास कोई ठोस नीति नहीं है और केवल आपदा हमलों के बाद ही सरकार चाहे वो केन्द्र की हो या राज्य की, धीरे–धीरे कदम उठाती है। आपदाओं की

चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमताओं के निर्माण की सख्त आवश्यकता है। जैसा की उड़ीसा में सुपर साइक्लोन, 2004 की सुनामी, गुजरात भूकम्प, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरल आदि में मुसलाधार बारिश में भूखस्खलन के रूप में आई आपदाओं में ऐसा ही अनुभव देखने को मिला है। इन आपदाओं से निपटने के लिए भारत की प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन के प्रयासों में गंभीर कमजोरियों को दिखाती है।

वर्तमान में जो आपदाएं आ रही है उनमें मानव का भी बड़ा हाथ है। क्योंकि उसके द्वारा जिस तेजी से जंगलों का विनाश एवं प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, उससे भी अनेक आपदाएं आ रही है। उदाहरण के लिए 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आपदा आई थी, उसका कारण था हमारे द्वारा जो पेड़ एंव पहाड़ काटे जा रहे थे तथा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना जो जीवन और संपति के भारी नुकसान का कारण बना है और एक ही समय में इससे गंभीर रूप से लोगों का सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है। यह लेख मुख्य रूप से विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों और इसकी तैयारियों के उपायों पर केन्द्रित है। जीविका और सम्पति को बचाने के लिए किन उपायों की जरूरत है, यह स्पष्ट करता है। इस आलेख में प्रबंध आपदाओं में सरकार, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर विभिन्न खोज और बचाव की तकनीक और दूसरों की समझ बनाने के लिए लोगों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में मदद पर केन्द्रित हैं।

**आपदा की प्रमुख विशेषताएं :**

1. आपदाएं प्रकृति जनक या मानव जनित प्रकोप होती है।
2. आपदाएं शीघ्रता से त्वरित गति से घटित होती है।
3. आपदाओं के परिणाम व प्रचंडता का मानव समाज को होने वाली क्षति की मात्रा परिप्रेक्ष्य में निर्धारण किया जाता है।
4. आपदाएं ऐसी बेलगाम घटनाएं होती है जिनके द्वारा सामाजिक ढांचा ध्वस्त हो जाता है। आवश्यक कार्य एवं क्रियाएं रूग्ण हो जाती है। मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं छीन्न–भिन्न एवं तहस–नहस हो जाती है।
5. आपदाओं द्वारा कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य सम्बंधी सेवाएं उत्पन्न हो जाती है।

**आपदा के प्रकार :**

**आपदा को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :**

1. प्रकृति द्वारा उत्पन्न संकट जिसको निम्नलिखित उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

क. मौसमी घटनाएं, चक्रवात, तूफान, बाढ़ और सूखा।

ख. भौगोलिक घटनाएं, भूकम्प, सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन।

2. पर्यावरणीय ह्रास और पारिस्थितिकीय संतुलन में गड़बड़ी द्वारा उत्पन्न संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, वैश्विक तपन।
3. दुर्घटनाओं द्वारा उत्पन्न संकट इसे औद्योगिक और न्यूक्लियर दुर्घटनाओं और अग्नि संबंध दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल रिसाव दुर्घटना आदि।
4. जीववैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संकट और लोकस्वास्थ्य संकट महामारियां आदि।

**आपदा प्रबंधन की रणनीति :**

आपदा प्रबंधन की दिशा में कई ठोस कदम उठाये गये हैं जैसे 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है तथा 2005 में आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य आपदाओं से निपटने हेतु त्वरित कार्यवाही एवं बेहतर प्रबंधन करना है।[1] 1994 में यॉकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें आपदा के न्यूनीकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना के संग्रहण, प्रकीर्णन और संसाधनों के बेहतर प्रयोग पर बल दिया गया।

आपदा प्रबंधन की दृष्टि से वर्ष 2015 विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष आपदाओं से होने वाली जन और आर्थिक क्षति के न्यूनीकरण हेतु विश्व स्तर पर सहमति बनी। 14–15 मार्च 2015 में सेनदेई (जापान) में हुए तीसरे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में एक नये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोटोकॉल पर समझौता हुआ जिसमें

आपदा जोखिम की समझ, राहत एवं बचाव के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश तथा प्रभावी प्रत्युत्तर का संवर्द्धन मुख्य है। सेनदेई (जापान) सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित संसार के लिए बेहतर आपदा रणनीति का प्रबंधन करना है।

हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हुआ है। यह नीति अब केवल राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारी, उनके शमन और बचाव पर अधिक जोर देती है। दृष्टिकोण में यह परिवर्तन उन धारणाओं के कारण आया है कि विकास प्रक्रिया में जब तक आपदा शमन को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा, विकास की प्रक्रिया लम्बे समय तक जारी नहीं रखी जा सकती। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित क्षेत्रों में अपनाए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन का नीतिगत ढ़ांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान होना चहिए, क्योंकि निर्धन समूह ही आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है। परन्तु हर संकट आपदा नहीं होता है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारी करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन के तीन चरण होते हैः—

**1. आपदा से पूर्व :**

आपदा के बारे में आँकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा में संभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावी क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव के उपाय करना। यह ऐसी अवधि है जो संभावित खतरे के जोखिम और असुरक्षाओं का आंकलन किय जा सकता है और संकट के निवारण और कम करने तथा इसके वास्तविक रूप से घटने के लिए तैयारी करने का उपाय किया जा सकता है। इसमें बाढ़ आना रोकने के लिए बांध के निर्माण, सिंचाई सुविधाएं सृजित करने अथवा बढ़ाने, भूस्खलन होने की घटना कम करने के लिए वृक्षारोपण बढ़ाने, भूकम्प—रोधी सरंचनाओं के निर्माण और सुदृढ़ पर्यावरण प्रबंधन जैसे दीर्घकालीन निवारण उपाय शामिल है।

संकट को कई अल्पकालीन उपायों के माध्यम से भी कम किया जा सकता है। खतरे की सीमा और तीव्रता को कम कर सकते हैं और जोखिम के टिकाऊपन और क्षमता को सुधार सकते हैं, जैसे भवन सहिंताओं को बेहतर ढंग से लागू करना, जल निकासी प्रणालियों का उचित रख—रखाव, खतरों के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर जागरूकता और शिक्षा आदि।

**2. संकट के दौरान आपातकालीन प्रत्युत्तर :**

जब कोई आपदा वास्तव में उत्पन्न होती है तब उससे प्रभावित होने वालों की पीड़ा और क्षति को दूर करने और न्यूनतम करने के लिए युद्धस्तर पर बचाव और तीव्र प्रत्युतर की अपेक्षा होती है। इस चरण में कुछ कतिपय प्राथमिक कार्यकलाप अनिवार्य हो जाते हैं। जैसे— जल निकासी, खोज और बचाव और बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रम स्थल, दवाईयां तथा प्रभावित समुदाय का जीवन सामान्य करने के लिए अनिवार्य अन्य आवश्यकताएं हैं।

**3. आपदा के पश्चात् :**

प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास यह ऐसा चरण है जब शीघ्र सुधार प्राप्त करने और असुरक्षा तथा भावी जोखिम कम करने के लिए प्रयास किय जाते हैं। इसमें वैसे कार्यकलाप शामिल होते है, जिसमें पुनर्वास और पुनःनिर्माण को दो चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

पहला इसमें दीर्घकालीन सुधार हेतु सहायता करने के लिए अंतरिम उपायों के रूप में अस्थायी सार्वजनिक सुविधाएं और आवासन का प्रावधान शामिल हैं।

दूसरे चरण में क्षतिग्रस्त अवसंरचना और निवास स्थलों का निर्माण और सतत आजीविका को सुदृढ़ करना शामिल है।[2]

**आपदा प्रबंधन के तत्व :**

1. उपयुक्त कानूनी और संगठनात्मक ढांचा सृजित करना।
2. सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों, समुदायों, नागरिक समाज संगठनों और सभी स्तर पर व्यक्तियों को संभावित प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के जोखिम तथा साथ ही उनकी असुरक्षा से संबंधी स्थिति से अवगत कराना।

3. आपदा प्रबंधन के लिए अतिसावधानीपूर्ण दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजना बनाना और योजनाओं तथा प्रवर्तन उपायों की प्रभावी कार्यान्वयन।
4. आपदा का सामना करने और उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुदायों की क्रियाशीलता को बढ़ाना।
5. विकास के कार्य में आपदा जोखिम कम करने के उपायों को मुख्य धारा में लाना।
6. विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग कर पूर्व चेतावनी प्रणाली को प्रभावशाली बनाना।
7. प्रभावी आपदा के लिए ज्ञान विकसित करना और उसका प्रसार करना। आपदा प्रबन्धन प्रयासों में पारम्परिक ज्ञान की एकीकरण करना।
8. बेहतर पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
9. जागरूकता, दक्षता और क्षमता निर्माण।

**आपदा प्रबन्धन के लिए विश्वव्यापी प्रयास :**

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की एक विश्व बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को यॉकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन को सामाजिक एवं आर्थिक क्षति बहुत अधिक हुई हैं। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि आपदाएँ विशेष रूप से विकासशील देशों के गरीब और साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है। क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने को तैयार नहीं हैं। इस बैठक में आपदा प्रबन्धन के लिए निम्न रणनीति को अपनाया गया हैं जिसे यॉकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए।[3]

1. इसमें कहा गया कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें।
2. यह विकासशील देशों, विशेष रूप से, सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से पानी से घिरे देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर ध्यान देना।
3. जहां भी ठीक समझा जायेगा, वहां आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बना कर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास किया जाएगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए।
4. आपदा निवारण और तैयारी को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकास की नीति और योजना का अभिन्न पहलू माना जाना चाहिए।
5. संपूर्ण समुदाय की उपुयक्त शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा लक्षित समूहों पर ध्यान केन्द्रित कर उचित डिजाइन और विकास की पद्धतियों के प्रयोग द्वारा असुरक्षा कम की जा सकती है।
6. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपदा के निवारण, उसकी कमी और प्रशासन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी की भागीदारी करने की आवश्यकता स्वीकार करता है।
7. निर्धनता उन्मूलन के संगत सतत् विकास के संघटन के रूप में पर्यावरणीय संरक्षण प्राकृतिक आपदाओं के निवारण और शमन में अनिवार्य हैं।
8. प्रत्येक देश अपने लोगों, अवसंरचना और अन्य राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के संरक्षण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों, विशेषकर कम विकसित देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदा की कमी के क्षेत्र में वित्तीय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय साधनों सहित मौजूदा संसाधनों के सक्षम प्रयोग करने के लिए अपेक्षित सुदृढ़ राजनीतिक संकल्प प्रदर्शित करना चाहिए।

- **ह्यूगो कार्यवाही रूपरेखा :**

संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सी संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति ने 2005 में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ह्मगो कार्यवाही रूपरेखा तैयार की, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आपदा जोखिम कम करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का वर्णन है। जो निम्नलिखित हैं:[4]—

**राजनीतिक प्रक्रिया** – इसके अंतर्गत सभी देशों को ऐसी नीतियां और कानून तथा संस्थान विकसित करने हैं, जो आपदा जोखिम कम करने में सहायक हों, इस काम के लिए संसाधन निर्धारित करें और राहत पहुंचाने की तैयारी करें।

**तकनीकी प्रक्रिया** –

इसके अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाली तबाही के आकलन, पहचान और मॉनीटरिंग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए और पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया जाए।

**सामाजिक शैक्षणिक प्रक्रिया**–

इसका उद्देश्य नागरिकों में समझदारी और हर स्तर पर लचीलापन तथा सुरक्षा की भावना विकसित करना है।

**विकास प्रक्रिया**–

इसका उद्देश्य विकास के हर संबंधित क्षेत्र में आपदा जोखित का एकीकरण और विकास के साथ नियोजन तथा कार्यक्रम बनाना है।

**मानवीय प्रक्रिया**–

इसके अन्तर्गत आपदा के समय कार्यवाही और बचाव का काम करना शामिल है।

**सेनदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यः**–

1. वर्ष 2030 तक आपदा से वैश्विक मृत्यु दर में पर्याप्त कमी करना वर्ष 2005–15 की तुलना में वर्ष 2015–30 के बीच प्रति एक लाख वैश्विक मृत्यु में औसत कमी का लक्ष्य।
2. वर्ष 2030 तक आपदाओं से वैश्विक प्रभावितों की संख्या में पर्याप्त कमी करना, वर्ष 2005–15 की तुलना में वर्ष 2015–30 के बीच वैश्विक आपदा से प्रभावितों की संख्या में औसतन प्रति एक लाख तक न्यूनीकरण।
3. वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक क्षति की न्यूनीकरण।
4. जरूरी आधारभूत संरचनाओं की क्षति तथा बुनियादी सुविधाओं की क्षति में वर्ष 2030 तक पर्याप्त कमी तथा वर्ष 2030 तक अधिक से अधिक राष्ट्रीय व स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति का निर्माण।
5. वर्ष 2030 तक फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के लिए विकासशील देशों को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
6. वर्ष 2030 तक बहु जोखिम आपदा चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता व पहुंच बढ़ाना।

**सेनदई फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धान्त :**

1. प्रत्येक देश की पहली जिम्मेदारी है कि वह आपदा जोखिम को कम करें।
2. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकारें व संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकार अपनी जिम्मेदारी साझा करें।
3. आपदाओं के जोखिमों के प्रबंधन का लक्ष्य होना चाहिए, लोगों की जान की रक्षा, उनकी संपदा, स्वास्थ्य व आजीविका की रक्षा।
4. आपदा जोखिम न्यूनीकरण व प्रबंधन विभिन्न क्षेत्रकों व प्रासंगिक हितधारकों के बीच समन्वय पर निर्भर करता हैं।
5. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समाज के सभी हितधारकों की भागीदारी जरूरी है।
6. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारों की भूमिका होने के साथ–साथ जरूरी है कि स्थानीय प्राधिकार व स्थानीय समुदायों का भी सशक्तिकरण किया जाये।
7. प्रासंगिक नीतियों, योजनाओं, अभ्यासों व तंत्रों का विकास मजबूती व क्रियान्वयन, सतत विकास वृद्धि, खाद्य सुरक्षा जैसे सभी क्षेत्रों की ओर सुसंगता व सार्थक लक्षित होना चाहिए।
8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक है कि बहुवैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की।
9. किसी आपदा जोखिम के संचालन का वैश्विक, राष्ट्रीय या स्थानीय स्वरूप हो सकता है परन्तु आपदा जोखिम के उपाय निर्धारण के क्रम में यह जरूर समझना चाहिए कि आपदा जोखिमों का स्थानीय या विशेषीकृत चरित्र हो सकता है।
10. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक भागीदारी व सहयोग की जरूरत हैं।

11. अल्प विकसित देशों निम्न आय वाले देशों, द्वीपीय देशों को समय पर पर्याप्त, सतत् सहायता की जरूरत होती है। यह सहायक वित्तीय के अलावा प्रौद्योगिकीय भी हो सकती है।

यह सत्य है कि हम प्राकृतिक संकट को रोक नहीं सकते हैं, परन्तु हम अधिक सक्षमतापूर्वक संकट के प्रबन्धन का प्रयास कर सकते है ताकि संकट को आपदा में परिवर्तित होने से बचाया जा सकें। संगत और अर्थपूर्ण आपदा प्रबन्धन की रणनीति से हम बहुआयामी संकट से लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आपदा से निपटते समय आपदा के कारण लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं के प्रति विशेष रूप से प्रत्युत्तरदायी होने पर बल दिया है। आयोग की सिफारिशों का मुख्य लक्ष्य न केवल अभिशासन की अधिक सक्षम प्रणालियां बनाये रखना हैं बल्कि क्षमता निर्माण के नए तरीके खासकर पंचायत, नागरिक समाज तथा समुदाय सहित सभी स्तरों का सशक्तिकरण एवं उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करना है।[5]

किसी भी आपदा का प्रबन्धन करना मुख्यतया सरकार की जिम्मेदारी होती है लेकिन समाज, स्थानीय लोग और नागरिक समाज संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का दृष्टिकोण है कि आपदा प्रबन्धन कोई पृथक विषय नहीं है बल्कि सामूहिक प्रत्युतर सुनिश्चित करने के लिए ऐसे तरीकों से सभी क्षेत्रों को शामिल करके समस्याओं को सुलझाने का एक दृष्टिकोण हैं।

**संदर्भ :**

1. भारत 2015, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत 2016, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. योजना मार्च, 2018
4. टी नंदन कुमार का आलेख, योजना मार्च 2016 पृष्ठ 13–18
5. सिंह रविन्द्र 2020: पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।